



अनवान:- देवु बनाम भला  
प्रकरण संख्या:- 04/2023  
निर्णय दिनांक 23.09.2025

## न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 04/2023

जीसीएमएस वाद संख्या 2023/5

—:अनवान:—

1. देवु पत्नी रामजी जाति माली निवासी मालियों का गोलिया, तहसील सांचौर।

वादीया.....

1. भला पुत्र गणेशा जाति माली निवासी मालियों का गोलिया, तहसील सांचौर।
2. बाबुराम पुत्र भलाराम जाति माली निवासी मालियों का गोलिया तहसील सांचौर।
3. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सांचौर।
4. तहसीलदार (भूमिधारी) सांचौर।

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188

राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 3 एकपक्षीय।
4. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक:- 23.09.2025

1. वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 04.11.2024 को मौजा मालियों का गोलिया पटवार हल्का चौरा तहसील-सांचौर के वर्तमान खसरा नम्बर 733 रकबा 2.1700 हैक्टेयर में वादीया के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अंश व कब्जे के अनुसार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के मध्यनजर रखते हुए भूमि का बंटवाडा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार सांचौर से पत्रांक/कोर्ट/2024/295 दिनांक 06.11.2024 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा निर्णय की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/भूअ./2025/3459 दिनांक 12.08.2025 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।
2. तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया, वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति प्रस्तावित बंटवाडा का निस्तारण करते हुये तहसीलदार सांचौर से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।


सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी) Page 1 of 4



क्र. स	खातेदार का नाम	खसर नम्बर	रकबा हैक्ट0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	देवु पत्नी रामजी जाति माली देह खातेदार	733	2.17	0.09	चाही दोयम	लाल	-
2.	बाबुराम पुत्र भलाराम हिस्सा 118/208 भलाराम पुत्र गणेशा हिस्सा 90/208 जातियान माली साकिन देह खातेदार।	733	2.17	0.95	चाही दोयम	आसमानी	-
				1.13	जाव दोयम		
				2.08			

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

  
(प्रमोद कुमार)  
सहायक कलेक्टर सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 से सरे इजलाज सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)





अनवान:- देवु बनाम भला  
प्रकरण संख्या:- 04/2023  
निर्णय दिनांक 23.09.2025

**डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**  
(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(civil procedure code, Appendix "D"-1)  
**अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर**  
पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

**अनवान**

1. देवु पत्नी रामजी जाति माली निवासी मालियों का गोलिया, तहसील सांचौर।

वादीया.....

1. भला पुत्र गणेशा जाति माली निवासी मालियों का गोलिया, तहसील सांचौर।
2. बाबुराम पुत्र भलाराम जाति माली निवासी मालियों का गोलिया तहसील सांचौर।
3. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सांचौर।
4. तहसीलदार (भूमिधारी) सांचौर।

प्रतिवादीगण.....

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 04/2023


यह मुकदमा आज इनफिसाल कर्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसर नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	देवु पत्नी रामजी जाति माली देह खातेदार	733	2.17	0.09	चाही दोयम	लाल	—
2.	बाबुराम पुत्र भलाराम हिस्सा 118/208 भलाराम पुत्र गणेशा हिस्सा 90/208 जातियान माली साकिन देह खातेदार।	733	2.17	0.95	चाही दोयम	आसमानी	—
				1.13	जाव दोयम		
				2.08			

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।  
बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23.09.2025 को जारी की गई

  
(प्रमोद कुमार)  
सहायक कलेक्टर सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीशनर	0	00	फीस कमीशनर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	6	00	मौजाना	4	00



  
सहायक कलेक्टर सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)